रोजगार के अवसरों का सृजन

3585. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेरोजगारों की संख्या कितनी-कितनी थी;

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिये उक्त नई नीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) **और** (ख) आठवीं योजना के आरम्भ में देश में अनुमानित बेरोजगारी लगभग 17 मिलियन थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार के अवसरों में 7.3 मिलियन प्रतिवर्ष की वृद्धि इंगित करते हुए 1987-88 से 1993-94 के दौरान 43.91 मिलियन की वृद्धि हुई। 1987-88 से 1993-94 के दौरान परिलक्षित रोजगार वृद्धि दर में आठवीं योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों को ही शामिल किया गया। परवर्ती अवधि के रोजगार वृद्धि के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

Enhancement of Gratuity payable to Employees

3586. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government by an Ordinance have enhanced the gratuity payable to employees and on the basis of this Ordinance Central Government employees are being paid enhanced gratuity with effect from 1st April, 1995 where as in case of other sections of employees enhanced gratuity is to be paid w.e.f. 24th September, 1997;

(b) if so, what are the reasons for this discrimination; and

(c) how, Government propose to remove this discrimination?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) The employees employed in the factories and certain other establishments are entitled to gratutiy as provided under the Payment of Gratuity Act, 1972. The Government has since amended the Payment of Gratuity Act and enhanced the ceiling on maximum amount of gratuity from Rs. 1.00 lakh to Rs. 3.50 lakhs w.e.f. the date of initial promulgation of the Ordinance i.e. from 24.9.1997. The maximum limit of Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) under the CCS (Pension) Rules, 1972 was increased from Rs. 1.00 lakh to Rs. 2.50 lakhs w.e.f. 1.4.1995 as recommended by the Vth Pay Commission in its interim report and the same was further enhanced to Rs.3.50 lakhs w.e.f. 1.1.1996. As the provisions of the CCS (Pension) Rules are applicable to Government servants only, the question of extending it to non-Governmental employees does not arise.

Conviction under Section 406 and 409 of IPC

3587. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of employers who have been convicted under sectons 406 and 409 of IPC who have deducted employees' share of contribution but did not remit the same to the Employees Provident Fund; and

(b) the details of such employers?

4003/10